

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 163/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

- लोगर भील पिता भेरा भील निवासी: खाम की मादडी, ढिमडा, तहसील-घासा, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घासा, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: २९/०९/२०२५



प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 29.07.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/163/25/968-69 दिनांक 19.09.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

- सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घासा द्वारा जरिये पत्रांक: रीडर/RTI/2025/496 दिनांक 26.09.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर आक्षेप किया गया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण नहीं किया गया तथा अपीलार्थी को निर्धारित अवधि तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तैयार करवाकर इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/RTI/2025/495 दिनांक 25.09.2025 से अपीलार्थी को जरिये डाक प्रेषित कर दी गई है।

- पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घासा द्वारा जरिये पत्रांक 495 दिनांक 25.09.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घासा द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (अ.ज.)

है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार घासा को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में निर्धारित समयावधि में सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २२/०९/२०२५ को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलेक्टर, उदयपुर